दिनांक : 20 जनवरी, 2014

लोकपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2013 में पारित कर दिया गया। इसे जनवरी 2014 के शुरु में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई और इसे अधिसूचित कर दिया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने लोकपाल के चैयरमैन और सदस्यों के पद भरने के लिए एक लंबा चौड़ा विज्ञापन भी दे डाला। विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र में नियम और योग्यता शर्तें भी दी गई हैं।

यह प्रक्रिया किसने शुरु की? विज्ञापन को देखकर स्पष्ट है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को शुरु किया है और पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अधिनियम का अध्ययन करने पर पता चला कि विभाग को इस तरह के आवेदन मंगाने का कोई अधिकार नहीं है।

अधिनियम की धारा 4 लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके लिए एक चयन समिति है जिसमें प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश और अन्य चार सदस्यों द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होगा।

वास्तव में अब तक चयन समिति के चार सदस्यों की कोई बैठक नहीं हुई है। पहली बार इन चारों सदस्यों को बैठक करके पांचवे सदस्य की नियुक्ति के लिए नामों पर विचार करना होगा। पांचों सदस्यों की नियुक्ति के बाद चयन समिति लोकपाल के सदस्यों का पैनल तैयार करने के लिए एक जांच समिति गठित करेगी। जांच समिति में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होंगे। यह जांच समिति चैयरमैन और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य लोगों की तलाश करेगी।

धारा 4(4) में कहा गया है कि चयन समिति लोकपाल के चैयरमैन और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी। जांच समिति द्वारा सिफारिश किए गए लोगों में से, चयन समिति नियुक्ति के लिए लोगों की सिफारिश करेगी। वह उसे जांच समिति द्वारा सिफारिश किए गए लोगों के बारे में विचार करने तक का अधिकार है। नियुक्त किये जाने वाले आठ व्यक्तियों में से चार न्यायिक पृष्ठभूमि के लोग होने चाहिए। इसके चैयरमैन भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं।

अभी तक चयन समिति गठित नहीं की गई है। जाहिर है कि कोई जांच समिति भी नहीं है। चयन समिति ने वह प्रक्रिया भी तैयार नहीं की है जिसके अंतर्गत वह लोकपाल के सदस्यों और चैयरमैन की नियुक्ति करेगी। इस तरह के प्रतिष्ठित पद के लिए जहां भारत के पूर्व न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जैसा व्यक्ति आसीन होगा, आवेदन करना आवश्यक नहीं हो सकता क्योंकि चयन का काम बहुत छोटा है। किसी भी सूरत में इसका फैसला चयन समिति करेगी कि विज्ञापन देना है अथवा अन्य तरीके से चयन करना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

ऐसा होते हुए भी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने चयन समिति के अधिकार को हड़प लिया है जिसका अभी पूरी तरह गठन करना बाकी है। उसने इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद के लिए आवेदन करने का बेतुका विचार उस पद की गरिमा के विरुद्ध है जो उन्होंने अभी संभाल रखा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अपने सीवी को लेकर संस्थान के साथ लॉबी करेंगे उनका आत्मसम्मान और गरिमा है। हो सकता है कि लोकपाल के सदस्य के रुप में काम पाने की इच्छा रखने वाला न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति न हो। केन्द्र सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में दिया गया विज्ञापन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। मैं पद के लिए मनोनीत चयन समिति के चारों सदस्यों प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा में विपक्ष की नेता को पत्र लिखूंगा कि उनका काम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हड़प लिया है। इस गैर कानूनी विज्ञापन को वापस लेने की जरुरत है।

*****

.